तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
14/3/75	पत्रा. पेश हुई [illegible] वाद [illegible] शामिल [illegible] किया जाकर [illegible] की [illegible] गया ही [illegible] के [illegible] कराया गया शामिल पत्रा. हो पत्रा. [illegible] कुमार [illegible] की [illegible] से [illegible] सहायक कलक्टर [illegible] जिला [illegible]

Signature Not Verified

Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.07.11 17:42:20 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

डिकरी व मुकदमें इब्तदाई

(आर्डर 20 रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix"D"-1)

अज अदालत सहायक कलक्टर नदबई

व इजलास श्री गंगाधर मीना ,आर.ए.एस

मु0 उनवान घसीड़ा बनाम नाहरसिंह वगै0

दावा बाबत् 88,89,,188 रा0का0 अधिनियम

मुकदमा नंबर 7/2015

यह मुदकमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू–ब–रू ......– व हाजरी वादी मिनजानिब मुद्दई व .... मिनजानिब मुद्दालय पेश होकर , हुक्म दिया जाता है व डिकरी दी जाती है कि

विवादित आराजी खसरा नंबर 6, 8, 9, 12, 13, 14, 441, 442, 443, 444 वाके ग्राम बढा तहसील नदबई पर हो रहे हाल इन्द्राजात को कलमजन किया जाकर वादी संख्या 1 को 1/4 हिस्से पर तथा प्रतिवादीगण संख्या 8 लगायत 11 को 1/4 हिस्से पर वाहिस्सा बराबर तथा वादी संख्या 2 को 1/4 हिस्से पर तथा प्रतिवादी संख्या 12 को 1/4 हिस्से पर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तथा प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 7 के हाल इन्द्राजात को कलमजन किया जाता है, शेष इन्द्राजात यथावत रहेंगे। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन हो।

बैज – मुबलिग –––––– बावत –––––––––– खर्चा इस मुकदमें के मयसुद व शरह ––––––––– फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख व सुलयाबी तक –––––––– की अदा करें ।

दसब्त व मुहर अदालत के आज तारीख 12.03.2025 को जारी की गई ।

दस्तखत—— 12/3/25

मुहर

सहायक कलक्टर नदबई जिला भरतपुर

मुद्दई	रूपयां	पैसा	मुद्दालय	रूपया	पैसा
स्टाम्प अराजी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमीश्नर बावत इजराय हुक्म नामा मुतफर्रिक			स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बवत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक		
मीजान			मीजान		

Signature Not Verified

Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.07.11 17:42:20 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

1. घसीड़ा पुत्र खैमा जाति जाट निवासी बढा तहसील नदबई जिला भरतपुर।
2. बहादुरसिंह पुत्र रघुवीर जाति जाट निवासी बढा तहसील नदबई जिला भरतपुर।

—वादीगण

बनाम

1. नाहरसिंह मृतक जाति जाट निवासी बढा तहसील नदबई जिला भरतपुर।

   1/1. अंगूरी वेवा नाहरसिंह जाति जाट निवासी बढा तहसील नदबई जिला भरतपुर

   1/2. भजनलाल पुत्र नाहरसिंह जाति जाट निवासी बढा तहसील नदबई जिला भरतपुर

   1/3. कश्मीरा पुत्री निहालसिंह जाति जाट निवासी बढा तहसील नदबई जिला भरतपुर

   1/4. इन्द्रा पुत्री नाहरसिंह जाति जाट निवासी बढा तहसील नदबई जिला भरतपुर

   1/5. सावित्री पुत्री नाहरसिंह जाति जाट निवासी बढा तहसील नदबई जिला भरतपुर

2. मोरध्वज पुत्र रतीराम जाति जाट निवासी बढा तहसील नदबई जिला भरतपुर
3. गोपाल पुत्र रतीराम जाति जाट निवासी बढा तहसील नदबई जिला भरतपुर
4. भीमा पुत्र रतीराम जाति जाट निवासी बढा तहसील नदबई जिला भरतपुर
5. सौमोती वेवा रतीराम जाति जाट निवासी बढा तहसील नदबई जिला भरतपुर
6. शकुन्तला पुत्री रतीराम जाति जाट निवासी बढा तहसील नदबई जिला भरतपुर
7. मछला पुत्री रतीराम जाति जाट निवासी बढा तहसील नदबई जिला भरतपुर
8. अर्चना पुत्री राजेन्द्र जाति जाट निवासी बढा तहसील नदबई जिला भरतपुर
9. सरिता पुत्री राजेन्द्र जाति जाट निवासी बढा तहसील नदबई जिला भरतपुर
10. निशा पुत्री राजेन्द्र जाति जाट निवासी बढा तहसील नदबई जिला भरतपुर
11. रामरती वेवा राजेन्द्र जाति जाट निवासी बढा तहसील नदबई जिला भरतपुर
12. मोहनसिंह पुत्र रघुवीर जाति जाट निवासी बढा तहसील नदबई जिला भरतपुर
13. स्टेट बैंक आफ इंडिया जरिये प्रबंधक नदबई
14. राज. सरकार जरिये तहसीलदार नदबई
15. सब रजिस्ट्रार नदबई

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.07.11 17:42:20 IST
Reason: SelfAttested

12/3/25
सहायक कलक्टर

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय सहायक कलक्टर नदबई (भरतपुर)

(पीठासीन अधिकारी श्री गंगाधर मीना R.A.S.)

प्रकरण सं. 7/2015
जी.सी.एम.एस. नम्बर 2015/00015
किस्म दावा 88.89.188 आर.टी.ए.
निर्णय दिनांक 12.03.2025

1. घसीड़ा पुत्र खैमा जाति जाट निवासी बढा तहसील नदबई जिला भरतपुर।
2. बहादुरसिंह पुत्र रघुवीर जाति जाट निवासी बढा तहसील नदबई जिला भरतपुर।

—वादीगण

बनाम

1. नाहरसिंह मृतक जाति जाट निवासी बढा तहसील नदबई जिला भरतपुर।
   1/1. अंगूरी वेवा नाहरसिंह जाति जाट निवासी बढा तहसील नदबई जिला भरतपुर
   1/2. भजनलाल पुत्र नाहरसिंह जाति जाट निवासी बढा तहसील नदबई जिला भरतपुर
   1/3. कश्मीरा पुत्री निहालसिंह जाति जाट निवासी बढा तहसील नदबई जिला भरतपुर
   1/4. इन्द्रा पुत्री नाहरसिंह जाति जाट निवासी बढा तहसील नदबई जिला भरतपुर
   1/5. सावित्री पुत्री नाहरसिंह जाति जाट निवासी बढा तहसील नदबई जिला भरतपुर
2. मोरध्वज पुत्र रतीराम जाति जाट निवासी बढा तहसील नदबई जिला भरतपुर
3. गोपाल पुत्र रतीराम जाति जाट निवासी बढा तहसील नदबई जिला भरतपुर
4. भीमा पुत्र रतीराम जाति जाट निवासी बढा तहसील नदबई जिला भरतपुर
5. सौमोती वेवा रतीराम जाति जाट निवासी बढा तहसील नदबई जिला भरतपुर
6. शकुन्तला पुत्री रतीराम जाति जाट निवासी बढा तहसील नदबई जिला भरतपुर
7. मछला पुत्री रतीराम जाति जाट निवासी बढा तहसील नदबई जिला भरतपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.07.11 17:42:20 IST
Reason: SelfAttested

12/3/25

Scanned with OKEN Scanner

8. अर्चना पुत्री राजेन्द्र जाति जाट निवासी बढा तहसील नदबई जिला भरतपुर
9. सरिता पुत्री राजेन्द्र जाति जाट निवासी बढा तहसील नदबई जिला भरतपुर
10. निशा पुत्री राजेन्द्र जाति जाट निवासी बढा तहसील नदबई जिला भरतपुर
11. रामरती वेवा राजेन्द्र जाति जाट निवासी बढा तहसील नदबई जिला भरतपुर
12. मोहनसिंह पुत्र रघुवीर जाति जाट निवासी बढा तहसील नदबई जिला भरतपुर
13. स्टेट बैंक आफ इड़िया जरिये प्रबंधक नदबई
14. राज. सरकार जरिये तहसीलदार नदबई
15. सब रजिस्ट्रार नदबई

—प्रतिवादीगण

उपस्थित श्री महेन्द्रसिंह मीणा एड.(वादी की ओर से)

श्री रघुवीरशरण गुप्ता एड.(प्रतिवादी की ओर से)

निर्णय दावा अंतर्गत धारा 88,89,188 आर.टी.ए.

1. यह कि विवादित आराजी हाल खसरा नम्बर 6 रकवा 0.34, 8 रकवा 0.01, 9 रकवा 0.28, 12 रकवा 0.31, 13 रकवा 0.35, 14 0.03, 441 रकवा 0.13, 442 रकवा 0.15, 443 रकवा 0.13, 444 रकवा 0.30, किता 10 रकवा 2.03 हैक्ट. वाके ग्राम बढा तहसील नदबई है।
2. यह है कि विवादित आराजी हाल खसरा नंबरान के साबिक खसरा नंबरान संवत 2060 से मिलान क्षेत्रफल अनुसार 5 मिन व 684 मिन से बने हैं। और मिलान क्षेत्रफल संवत 2028 के मुताबिक खसरा नंबर 6, 8, 912, 13, 14 जो 5 मिन से साबिक नंबर 5 से बने हैं। जो 684 मिन को के बजाय 604 से बने हैं जो खसरा नबर 441, 442, 443, 444 हैं। जो मिलान क्षेत्रफल संवत 2060 व 2028 से साबिक नंबरान अनुसार सिद्ध है।
3. यह कि विवादित आराजी वादीगण व प्रतिवादीगण के पूर्वज मृतक बदले की आराजी है जिसका सजरा वाद[illegible] है।
4. यह कि विवादित आराजी वादीगण व प्रतिवादी[illegible] संख[illegible] लगायत 12 के पूर्वजों की खुदकाश्त की आराजी है जिसको वाद[illegible] के पूर्वज खेमा व रघुवीर अपने जीवनकाल में का[illegible] हुए चले आ रहे थे

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.07.11 17:42:20 IST
Reason: SelfAttested

12/3/25

Scanned with OKEN Scanner

उनके मरने के बाद वादीगण मय प्रतिवादीगण संख्या 8 लगायत 12 के साथ हिस्से मुताबिक काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं परन्तु राजस्व कर्मचारियों की साज से प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 7 के नाम आराजी मुतनाजा का इन्द्राज हो रहा है। जो खिलाफ कानून व मौका है क्योंकि आरटीए अधिनियम लागू होने के समय वादीगण के पूर्वज खेमा व रघुवीर खुदकाश्त की हेसियत से काबिज आराजी पर थे। उसके मुताबिक वादीगणों के पूर्वजों के खातेदारी अधिकार विधि अनुसार प्राप्त हो गए थे। ये बात जमाबंदी संवत 2012–15 खाता संख्या 34 व जमाबंदी संवत 2016–19 खाता संख्या 35 से बखूबी सिद्ध है जिस पर खेमा व रघुवीर पिसरान बदले खुदकाश्त वाहिस्सा बराबर इन्द्राजात राजस्व रिकॉर्ड में है परन्तु बिना किसी आधार के राजस्व कर्मचारियों ने प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 7 को खातेदारी अंकन करना गलत है जिसे वादीगण मय प्रतिवादीगण संख्या 8 लगायत 12 राजस्व इन्द्राजात कराने के अधिकारी हैं तथा हाल इन्द्राजात को कलमजन करा पाने के अधिकारी हैं।

5. यह कि विवादित आराजी को जब वादीगण जुताई बुवाई कर रहे तो प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 7 द्वारा दिनांक 05.02.14 को धमकी दी कि आराजी हमारे नाम है, फसल हम काटेंगे तथा आराजी को रहनवयमुन्तकिल कर देंगे अतः वादीगण खिलाफ प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 7 को कब्जेकाश्त में मदाखलत मजाहमत न करने एवं रहनवयमुन्तकिल न करने हेतु पाबंद किया जावे। अंत में प्रार्थना की कि हाल खसरा नंबरान 6, 8, 9, 12, 13, 14, 441, 442, 443, 444 वाके ग्राम बढा जमाबंदी संवत 2068–71 खाता संख्या 119 पर हो रहे हाल इन्द्राजात कलमजन करते हुए वादीगण संख्या 1 को 1/4 हिस्सा पर प्रतिवादीगण संख्या 8 लगायत 11 को 1/4 हिस्से पर वाहिस्सा बराबर, वादी संख्या 2 को 1/4 हिस्से पर व प्रतिवादीगण संख्या 12 को 1/4 हिस्से पर आराजी में साबिक रिकॉर्ड को दृष्टिगत रखते हुए पूर्वजों के इन्द्राजात जो अधिनियम लागू होने के समय पर थे उसी अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा हाल इन्द्राजात प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 7 के नाम बिना किसी आधार के अंकित है, इन्द्राजात कलमजन किया जावे। तथा

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.07.11 17:42:20 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 7 को पाबंद किया जावे कि इन्द्राजात के आधार पर वादीगण के कब्जेकाश्त में दखलदांजी न करे तथा रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाए रखें।

6. यह कि वादी का वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से श्री रघुवीरशरण गुप्ता एडवोकेट एवं प्रतिवादी संख्या 8 लगायत 10 की ओर से श्री बृजेश एडवोकेट उपस्थित हुए। शेष प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 7 एवं 11 लगायत 15 के खिलाफ एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी संख्या 8 लगायत 10 की ओर से जबाव दावा पेश न करने पर इनका जबाव दिनांक 02.08.19 को बंद किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से जबाव दावा पेश किया गया। जो शामिल पत्रावली है।

7. वादीगण के वादपत्र एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 के जबाव दावा के अभिवचनों के आधार पर न्यायालय हाजा द्वारा निम्नांकित तनकीयात कायम की गई।

1. आया वादी विवादित आराजी वादपत्र की मद संख्या 2 की आराजीयात वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 8 से 12 के पूर्वजों की खुदकाश्त की आराजी थी उनके मरणोपरान्त वादी एवं प्रतिवादी संख्या 8 से 12 मुताबिक हिस्सा खुदकाश्त है परंन्तु गलत तरीके से प्रतिवादी संख्या 1 से 7 के नाम अंकन है जिसे वादीगण व प्रतिवादी 8 से 12 के नाम राजस्व इन्द्राजात कराने के अधिकारी है तथा हाल रिकॉर्ड काबिल कमलजन है।– जिम्मेवादी

2. आया वादी प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद करा पाने के अधिकारी हैं। तथा विवादित आराजी का वादी के कब्जेकाश्त से दखलंदाजी ना करें।– जिम्मेवादी

3. आया वादी संख्या 1 का पिता व प्रतिवादी 8 से 12 के बाबा खैमा व प्रतिवादी 2 व 12 का पिता रघुवीर तथा प्रतिवादी 1/1 से 1/5 के पिता नाहरसिंह व प्रतिवादी 2 से 8 के पिता रतीराम सभी बदले की संतान है।– जिम्मेप्रतिवादीगण

4. आया विवादित आराजी मृतक [illegible] काश्त में न होकर हम प्रतिवादीगणों की पूर्वज मृतक [illegible] व मृतक रतीरामकी

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.07.11 17:42:20 IST
Reason: SelfAttested

12/3/25

Scanned with OKEN Scanner

काश्त में चली आ रही है तथा उनके बाद विरासत से हम प्रतिवादीगण काबिज चले आ रहे हैं।– जिम्मेप्रतिवादीगण

5. आया राजस्व कर्मचारियों ने विधि अनुसार ही हम प्रतिवादीगणों की खातेदारी का अंकन सही किया है जिसे वादीगण कलमजन कराने के अधिकारी नहीं है।– जिम्मेप्रतिवादीगण

6. आया वादीगण का दावा दायर वक्त कब्जा नहीं होने के कारण काबिल खारिजी है।– जिम्मेप्रतिवादीगण

7. आया विवादित आराजी पर प्रतिवादीगण तथा उनके पूर्वज खातेदार की हैसियत काबिज से आज तक काबिज चले आ रहे हैं तथा वादीगण का किसी प्रकार का कब्जा नहीं रहा है। अतः वादीगण को प्रतिवादीगणों की खातेदारी व बेदखली का दावा लाए हैं अतः दावा वादी चलने योग्य नहीं है काबिल खारिजी के है।– जिम्मेप्रतिवादीगण

8. आया वादीगण ने मृतक रघुवीर के सभी वारिसान को पक्षकार नहीं बनाया इसलिए दावा वादी काबिल खारिजी के है।– जिम्मेप्रतिवादीगण

वादी द्वारा अपने वादपत्र के समर्थन में नकल जमाबंदी संवत 2068–71 खाता संख्या 119 वाके बढा प्रदर्श 1, नकल मिलान क्षेत्रफल संवत 2060 वाके बढा प्रदर्श 2, नकल मिलान क्षेत्रफल संवत 2028 वाके बढा प्रदर्श 3, नकल जमाबंदी संवत 2012–15 खाता संख्या 34 वाके बढा प्रदर्श 5, नकल जमाबंदी संवत 2016–19 खाता संख्या 35 वाके बढा प्रदर्श 4 पेश किए गए। तथा मौखिक बयान के रूप में वादी घसीडा पुत्र खैमा जाति जाट निवासी बढा पीडब्लू 1 पेश किया गया जिनसे जिरह प्रतिवादी वकील द्वारा की गई।

प्रतिवादी द्वारा अपने जबाव के समर्थन में दस्तावेजी के रूप में नकल जमाबंदी संवत 2076–79 वाके बढा प्रदर्श डी 1, नकल जमाबंदी संवत 2020–23 प्रदर्श डी 2, नकल जमाबंदी संवत 2024–27 वाके बढा प्रदर्श डी 3, नकल जमाबंदी संवत 2028 वाके बढा प्रदर्श [illegible] पेश की गई तथा मौखिक बयान के रूप में भजनलाल पुत्र नाहरसिंह जाति जाट निवासी बढा, आजाद सिंह पुत्र रूपसिंह जाति जाट निवासी कलरा तहसील नदबई पेश

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.07.11 17:42:20 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

किए गए। डीडब्लू 1 भजनलाल से जिरह वकील वादी द्वारा की गई। अन्य गवाह से जिरह नहीं की गई।

हमने वादी के विद्वान अधिवक्ता की बहस अन्तिम सुनी गई। बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया तो पाया

1. आया वादी विवादित आराजी वादपत्र की मद संख्या 2 की आराजीयात वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 8 से 12 के पूर्वजों की खुदकाश्त की आराजी थी उनके मरणोपरान्त वादी एवं प्रतिवादी संख्या 8 से 12 मुताबिक हिस्सा खुदकाश्त है परन्तु गलत तरीके से प्रतिवादी संख्या 1 से 7 के नाम अंकन है जिसे वादीगण व प्रतिवादी 8 से 12 के नाम राजस्व इन्द्राजात कराने के अधिकारी है तथा हाल रिकॉर्ड काबिल कमलजन है। उक्त तनकी को सिद्ध करने का भार वादीगण का था। वादी द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबंदी संवत 2068–71 खाता संख्या 119 वाके बढा पेश की गई जिसमें खाता संख्या 119 के खसरा नंबरान पर नाहरसिंह व रतीराम पुत्र चन्दूराम जाति जाट साकिन देह खातेदार , नाहरसिंह रहन एसबीआई नदबई दर्ज रिकॉर्ड है यानि कि प्रतिवादी संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 7 के पिता व पति रत्तीराम के नाम दर्ज रिकॉर्ड है तथा नकल मिलान क्षेत्रफल संवत 2060 व 2028 वाके ग्राम बढा से हाल एवं गत खसरा नंबरान का उक्त विवादित आराजीयात का मिलान हो रहा है। तथा नकल जमाबंदी संवत 2012–15 में खाता संख्या 34, 35 वाके बढा प्रदर्श 5 पेश की गई जिसमें विवादित खसरा नंबरान पर खेमा व रघुवीर वाहिस्सा बराबर खातेदारी का अंकन हो रहा है यानि कि वादीगण के पिता खेमा व रघुवीर के नाम खातेदारी का अंकन है तथा नकल जमाबंदी संवत 2016–19 के खाता संख्या 34 पर खेमा व रघुवीर वाहिस्सा बराबर खातेदारी का अंकन है जोकि प्रदर्श 4 बनता है। इस प्रकार विवादित आराजीयात वादीगण के पूर्वजन वर्ष से 2017 तक खातेदार रहे हैं परन्तु बाद की जमाबंदियों में वादीगण के पूर्वजों की खातेदारी इन्द्राजात कलमजन किए गए है तथा उन में उक्त आराजीयात प्रतिवादीगण के नाम खातेदारी अंकन है। उक्त तनकी के विरोध में

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.07.11 17:42:20 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

प्रतिवादी द्वारा नकल जमाबंदी संवत 2076–79 पेश की गई जिसमें खाता संख्या 109 पर विवादित आराजी पर प्रतिवादीगण के पिता के नाम अंकन है तथा नकल जमाबंदी संवत 2020–23 के खाता संख्या 44 के खसरा नंबर 5 व 604 पर नाहर सिंह व रतीराम पिसरान चन्दूराम वाहिस्सा बराबर के अंकन हैं। यानि प्रतिवादीगण के पिता के नाम खातेदारी अंकन है तथा जमाबंदी संवत 2024–28 में भी नाहरसिंह व रतीराम पिसरान चन्दूराम वाहिस्सा बराबर कौम जाट साकिन देह रिकॉर्ड है। इस प्रकार उक्त विवादित आराजी संवत 2008 से 2019 तक वादीगण के पूर्वज पिता खेमा व रघुवीर के नाम खातेदारी दर्ज रिकॉर्ड रही है। तथा बाद में संवत 2020 से आज तक उक्त आराजी प्रतिवादीगण व उनके पिता के नाम अंकन रही है। चूंकि उक्त आराजी वादी संख्या 1 के पिता खेमा व वादी संख्या 2 के पिता रघुवीर तथा प्रतिवादी संख्या 1/1 लगायत 1/5 के पिता नाहरसिंह तथा प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 8 के पिता रतीराम ये सभी बदले की संतान है। इन तथ्यों को भी वादी ने अपने वादपत्र में माना है। ऐसी स्थिति में मृतक खेमा व मृतक रघुवीर की विवादित आराजीयात पर काश्त दर्ज करने से मात्र मृतक नाहर सिंह व मृतक रतीराम के हकों से वंचित नहीं किया जा सकता है। इसलिए मृतक नाहरसिंह व मृतक रतीराम के साथ मृतक खेमा व मृतक रघुवीर की काश्त मानी जावेगी। इस प्रकार उपरोक्त आराजी पैतृक आराजी है जो वादीगण के पूर्वज बदले की आराजी रही है। उक्त आराजी प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 7 के नाम अंकन है जो बिना किसी आधार पर अंकन किया गया है जो काबिल कलमजन के है। अतः उक्त तनकी वादीगण के पक्ष में तय की जाती हैं।

2. आया वादी प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद करा पाने के अधिकारी हैं। तथा विवादित आराजी का वादी के कब्जेकाश्त से दखलंदाजी ना करें। उक्त तनकी को सिद्ध करने का भार भी वादीगण का था। तनकी संख्या 1 के निर्णयानुसार वादी प्रतिवादीगण को स्वयं के हिस्से की आराजीयात पर स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद करा पाने के अधिकारी हैं कि आराजी में किसी प्रकार की दखल मजाहमत

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.07.11 17:42:20 IST
Reason: SelfAttested

1/3/25

Scanned with OKEN Scanner

न करें। एवं कब्जेकाश्त से बेदखल न करें। अतः उक्त तनकी वादीगण के हक में तय की जाती है।

3. आया वादी संख्या 1 का पिता व प्रतिवादी 8 से 12 के बाबा खैमा व प्रतिवादी 2 व 12 का पिता रघुवीर तथा प्रतिवादी 1/1 से 1/5 के पिता नाहरसिंह व प्रतिवादी 2 से 8 के पिता रतीराम सभी बदले की संतान है। उक्त तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादी का ाि प्रतिवादी द्वारा किसी प्रकार को कोई वंशावली या पंचायत द्वारा जारी प्रमाणित सजरा पेश नही किया गया जिससे साबित होता हो कि उक्त सभी बदले की सन्तान है तथा वादी द्वारा वाद पत्र में अंकन सजरा अनुसार प्रतिवादी द्वारा अपने जबाब मे भी स्वीकार किया गया है। अत उक्त तनकी प्रतिवादी के खिलाफ तय कि जाती है।

4. आया विवादित आराजी मृतक खैमी व मृतक रघुवीर की काश्त में न होकर हम प्रतिवादीगणों की पूर्वज मृतक नाहरसिंह व मृतक रतीरामकी काश्त में चली आ रही है तथा उनके बाद विरासत से हम प्रतिवादीगण काबिज चले आ रहे हैं।– उक्त तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादी का था प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत नकज जमाबंन्दी संवत 2028 से 2028 व आज तक पेश कि गई जिसमें विवादित आराजी मृतक खैमा, रघुवीर की ना होकर मृतक नाहरसिंह व रतीराम के नाम चली आ रही है। उनके मरने के बाद प्रतिवादीगण के नाम है। अत उक्त तनकी प्रतिवादी के हक में तय कि जाती है।

5. आया राजस्व कर्मचारियों ने विधि अनुसार ही हम प्रतिवादीगणों की खातेदारी का अंकन सही किया है जिसे वादीगण कलमजन कराने के अधिकारी नहीं है।– उक्त तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादी का था प्रतिवादी द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज सक्षम अदालत का ओदश पेश नही किया गया जिससे साबित होता हो कि उक्त आराजी विधि अनुसार प्रतिवादीगण के नाम खातेदारी दर्ज सही कि गई हो। अत उक्त तनकी प्रतिवादी के खिलाफ तय कि जाती है।

6. आया वादीगण का दावा [illegible] के कारण काबिल खारिजी है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.07.11 17:42:20 IST
Reason: SelfAttested

23/3/25

Scanned with OKEN Scanner

7. आया विवादित आराजी पर प्रतिवादीगण तथा उनके पूर्वज खातेदार की हैसियत काबिज से आज तक काबिज चले आ रहे हैं तथा वादीगण का किसी प्रकार का कब्जा नहीं रहा है। अतः वादीगण को प्रतिवादीगणों की खातेदारी व बेदखली का दावा लाए हैं अतः दावा वादी चलने योग्य नहीं है काबिल खारिजी के है।

:– तनकी स. 6 व 7 को सिद्ध करने का भार भी प्रतिवादी का था। प्रतिवादी द्वारा कब्जे के संबंध में कोई खसरा गिरदावरी या कब्जे सबंधी दस्तावेजात पेश नही किया गया जिससे साबित होता हो कि उक्त आराजी पर वादीगण का कब्जा नही है। अत उक्त तनकी प्रतिवादी के खिलाफ तय की जाती है।

8. आया वादीगण ने मृतक रघुवीर के सभी वारिसान को पक्षकार नहीं बनाया इसलिए दावा वादी काबिल खारिजी के है।– उक्त तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादी का था प्रति द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज पेश नही किया गया जिससे साबित होता हो कि मृतक रघुवीर के वारिसान को पक्षकार नही बया गया है। वादी द्वारा अपने वाद पत्र मृतक रघुवीर के सभी वारिसान को पक्षकार मुकदमा बनाया बया है। अत उक्त तनकी प्रतिवादी के खिलाफ तय की जाती है।

उपरोक्त तनकीवार निणर्य विवेचन के आधार पर स्पष्ट है कि वादी द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबंदी संवत 2012–15 वाके ग्राम बढा प्रदर्श 5 पेश की गई जिसमें विवादित खसरा नंबरान पर खेमा व रघुवीर वाहिस्सा बराबर खातेदारी दर्ज है यानि कि वादीगण के पिता के नाम खातेदारी का अंकन है। तथा जमाबंदी संवत 2016–19 के खाता संख्या 34 पर भी खेमा व रघुवीर की वाहिस्सा बराबर खातेदारी दर्ज रही है जो प्रदर्श 4 से साबित है। इस प्रकार उक्त विवादित आराजी वादीगण के पूर्वजों के नाम संवत 2008–2019 तक खातेदारी इन्द्राजात रहे हैं। बाद की जमाबंदियों में प्रतिवादीगणों के नाम गलत इन्द्राजात किए गए हैं जो काबिल कलमजन के हैं एवं वादीगण के [illegible] अंकन करा पाने के अधिकारी हैं। अतः वा[illegible] है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.07.11 17:42:20 IST
Reason: SelfAttested

23/3/25

Scanned with OKEN Scanner

::आदेश::

अतः आदेश है कि विवादित आराजी खसरा नंबर 6, 8, 9, 12, , 14, 441, 442, 443, 444 वाके ग्राम बढा तहसील नदबई पर हो रहे ाल इन्द्राजात को कलमजन किया जाकर वादी संख्या 1 को 1/4 हिस्से पर तथा प्रतिवादीगण संख्या 8 लगायत 11 को 1/4 हिस्से पर वाहिस्सा बराबर तथा वादी संख्या 2 को 1/4 हिस्से पर तथा प्रतिवादी संख्या 12 को 1/4 हिस्से पर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तथा प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 7 के हाल इन्द्राजात को कलमजन किया जाता है, शेष इन्द्राजात यथावत रहेंगे। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन हो। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 12.3.25 को खुले न्यायालय में लिखया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

12/3/25

गंगाधर मीना (R.A.S.)
सहायक कलक्टर नदबई

Signature Not Verified

Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.07.11 17:42:20 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner